

क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा			कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा।		
गणित	50	50	गणित	30	30
पर्यावरण अध्ययन	50	50	सामान्य अध्ययन	30	30
कुल	200	200	कुल	150	150

नोट: परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 1 से 5 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किये गये विकल्पों यथा-सहायक आचार्य/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य/सहायक आचार्य (उर्दू) तथा चयनित भाषा-II का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य (उर्दू) के प्रतिभागी द्वारा भाषा-II में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य होगा।

23. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 4 में अंकित प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है -

क्र. खण्ड	वर्तमान प्रावधान				क्र. खण्ड	प्रतिस्थापित प्रावधान					
		विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक			विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक		
1.	अनिवार्य	I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	20	20	1.	अनिवार्य	I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	30	30
		II.	भाषा-I	40	40			II.	(a) सहायक आचार्य/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)	30	30
			(b) उर्दू शिक्षक : उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)						(b) सहायक आचार्य (उर्दू): उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न)		
III.	भाषा-II क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा	40	40	III.	भाषा-II कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा	30	30				

								में से कोई एक भाषा।				
2.	वैकल्पिक	IV.	(a) गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक :	150	150	2.	वैकल्पिक	IV.	(a) गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक :	60	60	
			गणित-50, विज्ञान-100 (भौतिकी-50, रसायन-50, वनस्पति-50, जीव विज्ञान-50 में से कोई भी दो विषय)						गणित एवं विज्ञान से संबंधित प्रश्न			
			(b) समाज अध्ययन शिक्षक:	150	150					(b) समाज अध्ययन शिक्षक :	60	60
			(इतिहास-50, भूगोल-50, राजनीतिशास्त्र- 50, अर्थशास्त्र-50, समाजशास्त्र-50, लेखा शास्त्र-50 तथा व्यापार अध्ययन-50 में कोई भी तीन विषय)							समाज अध्ययन से संबंधित प्रश्न		
(c) भाषा शिक्षक :	150	150						(c) भाषा शिक्षक/ अन्य शिक्षक: IV(a) अथवा IV(b) में से कोई एक	60	60		
(अंग्रेजी-75 एवं हिन्दी/संस्कृत/उर्दू/अन्य संबंधित भाषा-75)												
कुल				250	250				कुल	150	150	

नोट: परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 6 से 8 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किये गये विकल्पों यथा-सहायक आचार्य/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य/सहायक आचार्य (उर्दू), चयनित भाषा-॥ तथा चयनित वैकल्पिक विषय (गणित एवं विज्ञान शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षक) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य (उर्दू) के प्रतिभागी द्वारा भाषा-॥ में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य होगा।

24. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 4 में अंकित नोट निम्नवत् है-

विज्ञान विषयों एवं सामाजिक अध्ययन के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 7 खण्ड होंगे, जिसमें दो या तीन खण्ड का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

को विलोपित किया जाता है।

25. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 5 में निम्न प्रावधान अंकित है-

नियम-7 (घ) एवं (ड.) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

'नियम 7 (घ) एवं (ड.) में भाषा-॥ अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (झारखंड सरकार) के गजट संख्या 660 दिनांक 24.12.2021 द्वारा चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।